

28/2/24 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील
वादी अनुक हैं। वादी व वादी वकील को
बार-बार आवाज लगाई गई मगर भी
उपस्थित नहीं आए। वादी व वादी के
आधिवक्ता के बावजूद सूचना अनुपस्थित
रहने से पत्रावली अदम-हाजरी अदम
पेटी में खारिज भी जाती है। पत्रावली
केवल शुमार होकर नंबर से कम हावाफ
प्राप्त शायद दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटफाली-बहरोड़)